



सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया Central Bank of India

क्षेत्रीय कार्यालय, पटेल चौक- सीवान-841226

परिशिष्ट-IV-A [नियम 8(6) का प्रावधान देखें]

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन

अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्वारा सर्वसाधारण एवं विशेष रूप से ऋणी(कों) और जमानतदार(कों) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित ऋणदाता के पास गिरवी /प्रभारित है, जिसका संकेतिक कब्जा, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, गरखा शाखा (सुरक्षित ऋणदाता) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, जिसे ऋणी/ऋणदाताओं एवं जमानतदारों से सुरक्षित ऋणदाताओं को बकाया राशि की वसूली के लिए दिनांक 21.07.2026 को 'जैसा है जहाँ है', 'जैसा है जो है' एवं 'जो कुछ भी है' के आधार पर बेचा जाएगा। संबंधित संपत्तियों के विवरण के सामने आरक्षित मूल्य एवं बयाना राशि (ईएमडी) प्रदर्शित की गई है।

क्र. सं.	शाखा	उधारकर्ता का नाम	मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि	दिनांक 02.07.2026 तक बकाया एवं वसूली योग्य राशि	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य/ईएमडी /बोली वृद्धि राशि
1.	गरखा	श्री उमेश प्रसाद पिता श्री रामबाबू प्रसाद ग्राम-रायपुरा, पोस्ट-गरखा, थाना- भेल्दी, जिला-सारण (बिहार)-841311	रु.15,29,558/- (रुपये पंद्रह लाख उनतीस हजार पांच सौ अठ्ठावन मात्र) + अतिरिक्त ब्याज एवं अन्य कानूनी शुल्क	रु.1888796/- (रुपये अठारह लाख अठासी हजार सात सौ छियानवे मात्र) + अतिरिक्त ब्याज एवं अन्य कानूनी शुल्क	अचल संपत्ति का वह सारा हिस्सा एवं पार्सल श्रीमती शोभा कुमारी विद्यार्थी पति श्री उमेश प्रसाद के नाम पर। सेल डीड संख्या-2655 दिनांक 25/02/1986 ग्राम-रायपुरा, तौजी संख्या-2612, थाना संख्या-87, खाता संख्या-266, सर्वे संख्या-1668, क्षेत्रफल-4 कट्ठा 17 धुर चौहद्दी: वर्तमान में-उत्तर: बैजनाथ साह एवं अन्य, दक्षिण: रामायण महतो, पूर्व: सत्यनारायण प्रसाद, पश्चिम: सत्यनारायण प्रसाद कुल क्षेत्रफल: 4 कट्ठा 17 धुर (7857 वर्ग फुट=18.03 डेसिमल)	रु. 16,13,500/- रु. 1,61,350/- रु. 10,000/-

सुरक्षित ऋणदाता को ज्ञात भार-शून्य

निरिक्षण की तिथि एवं समय	बोली राशि जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	ई-नीलामी तिथि एवं समय
दिनांक 18.07.2026 को सुबह 10.00 बजे से शाम 3.00 बजे तक	दिनांक 20.07.2026 (शाम 05:00 बजे तक)	दिनांक 21.07.2026 को सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक

इसे उक्त ऋण के उधारकर्ता/उधारकर्ताओं को उपरोक्त तिथि को ई-नीलामी आयोजित करने के संबंध में सुरक्षा (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) / नियम 9(1) के तहत दी गई सूचना भी माना जा सकता है। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया वेबसाइट www.baanknet.com पर जाएं।

SARFAESI अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के तहत वैधानिक 15 दिन की बिक्री सूचना

ऋणकर्ता/गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित संपत्तियों की नीलामी की जाएगी एवं बिक्री से प्राप्त राशि के विनियोजन के बाद, यदि कोई शेष राशि बचती है तो वह ब्याज एवं लागत सहित आपसे वसूल की जाएगी।

दिनांक - 02.07.2026

स्थान-सीवान

विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा

प्राधिकृत अधिकारी
सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया